[2025] 7 एससीआर 1697 : 2025 आईएनएससी 903

चिराग सेन एवं अन्य आदि

बनाम

कर्नाटक राज्य एवं अन्य

(आपराधिक अपील संख्या 3213-3215/2025)

28 जुलाई, 2025

[सुधांशु धूलिया एवं अरविंद कुमार, न्यायमूर्ति]

विचार के लिए मुद्दा

मुद्दा इस संबंध में उत्पन्न हुआ कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित उस आदेश की शुद्धता क्या है, जिसमें अपीलकर्ता-अभियुक्तों के विरुद्ध आयु-सीमित बैडमिंटन प्रतियोगिताओं में लाभ एवं चयन प्राप्त करने हेतु जन्म अभिलेखों में कूटरचना (falsification) से संबंधित आरोपों के आधार पर आरंभ की गई आपराधिक कार्यवाही को निरस्त करने से इंकार किया गया था।

शीर्ष टिप्पणियां

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 482 - आपराधिक कार्यवाही का निरस्तीकरण - अपीलकर्ता, जो राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, उनके माता-पिता एवं उनके कोच के विरुद्ध महानगर मजिस्ट्रेट के समक्ष निजी शिकायत दायर की गई, जिसमें आयु-सीमित बैडमिंटन प्रतियोगिताओं में लाभ एवं चयन प्राप्त करने हेतु जन्म अभिलेखों में कूटरचना करने का आरोप लगाया गया - मजिस्ट्रेट द्वारा जांच का निर्देश दिया गया - इसके अनुपालन में प्राथमिकी दर्ज की गई - प्राथमिकी एवं आपराधिक कार्यवाही को निरस्त करने हेतु दायर याचिकाएँ उच्च न्यायालय द्वारा खारिज की गईं - शुद्धता:

---

*लेखक

अभिनिर्धारित: परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए, अपीलकर्ताओं के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही का निरंतर जारी रहना पूर्णतः अनुचित है– परिवाद में धारा 420, 468 एवं 471, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराधों को आकर्षित करने हेतु आवश्यक मूल तत्वों का कोई प्रकटीकरण नहीं होता– यह आरोप नहीं है कि किसी भी अपीलकर्ता ने कोई दस्तावेज कूटरचित या जालसाजी से तैयार किया, अथवा यह कि उन्होंने किसी कूटरचित दस्तावेज का ज्ञानपूर्वक वास्तविक के रूप में उपयोग किया– यह भी कोई अभिवचन नहीं है कि किसी व्यक्ति या प्राधिकरण को बेईमानीपूर्वक प्रेरित किया गया हो ताकि वह किसी संपत्ति से वंचित हो जाए या कोई लाभ प्रदान करे– अपीलकर्ताओं को किसी दोषसिद्ध कृत्य या आपराधिक अभिप्राय से जोड़ने वाला प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह निष्कर्ष और अधिक सुदृढ़ होता है कि आरोप, भले ही अपने उच्चतम स्तर पर स्वीकार कर लिए जाएँ, तथापि उक्त धाराओं के अंतर्गत आपराधिक अभियोजन को उचित ठहराने हेतु आवश्यक मानदंड को पूरा नहीं करते– अभिलेख से यह भी स्पष्ट होता है कि जिन आरोपों को अब पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है, वे पूर्व में सक्षम प्राधिकारियों द्वारा परीक्षण के अधीन लाए जा चुके थे, जिन्होंने आगे कार्यवाही करने हेतु कोई सामग्री उपलब्ध नहीं पाई– तत्पश्चात ऐसा कोई नवीन साक्ष्य प्रकाश में नहीं आया है जो उस विषय को पुनः खोलने को न्यायोचित ठहराए, जिसे विधिवत जांच के उपरांत पहले ही समाप्त कर दिया गया था– अपीलकर्ता, विशेषतः वे खिलाड़ी जो राष्ट्रीय स्तर की प्रतिष्ठा रखते हैं, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व किया है तथा राष्ट्रमंडल खेलों और बीडब्ल्यूएफ अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में पदकों सहित अनेक सम्मान अर्जित किए हैं– ऐसे व्यक्तियों, जिन्होंने निष्कलंक अभिलेख बनाए रखा है और निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन के माध्यम से देश को गौरवान्वित किया है, को प्रथम दृष्टया साक्ष्य के अभाव में आपराधिक मुकदमे की प्रक्रिया से गुजरने के लिए विवश करना न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करेगा– ऐसी परिस्थितियों में आपराधिक विधि का आह्वान न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, जिसे यह न्यायालय स्वीकार नहीं कर सकता– उच्च न्यायालय द्वारा पारित आपत्तित आदेश निरस्त किया जाता है, तथा प्राथमिकी और उससे संबंधित समस्त आगे की कार्यवाही को निरस्त किया जाता है।
[पैरा 17-24]

उद्धृत निर्णयजन्य विधि

झंडू फ़ार्मास्यूटिकल वर्क्स लिमिटेड बनाम मोहम्मद शराफ़ुल हक़ **[2004] पूरक 5 एससीआर 790 : (2005) 1 एससीसी 122**; *हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल* **[1990] पूरक 3 एससीआर 259 : (1992) पूरक 1 एससीसी 335**; *पेप्सी फ़ूड्स लिमिटेड बनाम विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट* **[1997] पूरक 5 एससीआर 12 : (1998) 5 एससीसी 749 - संदर्भित।**

अधिनियमों की सूची

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; भारतीय दंड संहिता, 1860; भारत का संविधान; सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

कीवर्ड्स की सूची

आपराधिक कार्यवाही का निरस्तीकरण; जन्म अभिलेखों का मिथ्याकरण; आयु-सीमित बैडमिंटन प्रतियोगिताओं में लाभ एवं चयन प्राप्त करना; राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बैडमिंटन खिलाड़ी; बैडमिंटन प्रशिक्षक; विलंब; व्यक्तिगत दुर्भावना; परिवाद की सद्भावना; आपराधिक जांच; प्रशासनिक प्राधिकरण; आपराधिक दायित्व; कूटरचित दस्तावेज; अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिताएं; राष्ट्रमंडल खेल एवं बीडब्ल्यूएफ अंतरराष्ट्रीय आयोजन; आपराधिक विचारण; आपराधिक विधि का आह्वान।

केस का उद्भव

आपराधिक अपीलीय अधिकारिता: आपराधिक अपील संख्या 3213/2025

कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलुरु द्वारा रिट याचिका संख्याएं 26156, 25699 एवं 26136/2022 में दिनांक 19.02.2025 को पारित निर्णय एवं आदेश से उद्भूत।

पक्षों के लिए उपस्थितियाँ

अपीलकर्ताओं की ओर से अधिवक्तागण:

सी. ए. सुन्दरम, वरिष्ठ अधिवक्ता; सुश्री रोहिणी मूसा; बद्री विशाल; आयुष नेगी।

उत्तरदाताओं की ओर से अधिवक्तागण:

विक्रम हेगड़े; अभिषेक वाडियार।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

आदेश

अरविंद कुमार, न्यायाधीश

अनुमति प्रदान की गयी|

2. वर्तमान अपीलें दिनांक 19.02.2025 के एक सामान्य निर्णय से उत्पन्न होती हैं, जिसे कर्नाटक उच्च न्यायालय, बेंगलुरु द्वारा रिट याचिका संख्याएं 25699/2022, 26156/2022 एवं 26136/2022 में पारित किया गया, जिसके माध्यम से उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता-आरोपियों के विरुद्ध प्रारंभ की गई आपराधिक कार्यवाही को निरस्त करने से इनकार किया, जो आयु-सीमित बैडमिंटन प्रतियोगिताओं में लाभ एवं चयन प्राप्त करने के उद्देश्य से जन्म अभिलेखों के मिथ्याकरण से संबंधित आरोपों पर आधारित थी।

3. इस न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता निम्नलिखित हैं:

1. चिराग सेन, पुत्र धीरेंद्र कुमार सेन, आयु लगभग 26 वर्ष;
2. निर्मला धीरेंद्र सेन, पत्नी धीरेंद्र कुमार सेन, आयु लगभग 57 वर्ष;
3. लक्ष्य सेन, पुत्र धीरेंद्र कुमार सेन, आयु लगभग 23 वर्ष;
4. यू. विमल कुमार, पुत्र उन्नीकृष्णन नायर, आयु लगभग 63 वर्ष; तथा
5. धीरेंद्र कुमार सेन, पुत्र स्वर्गीय सी. एल. सेन, आयु लगभग 62 वर्ष।

4. अपीलकर्ता संख्या 1 एवं 3 राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त स्थापित बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। अपीलकर्ता संख्या 4 एक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रशिक्षक तथा प्रकाश पदुकोण बैडमिंटन अकादमी ("पीपीबीए") के निदेशक हैं। अपीलकर्ता संख्या 2 एवं 5, अपीलकर्ता संख्या 1 एवं 3 के माता-पिता हैं।

5. कार्यवाही दिनांक 27.06.2022 की उस शिकायत से उत्पन्न होती है, जो उत्तरदाता संख्या 2– श्री नगराज एम. जी. द्वारा पुलिस निरीक्षक, हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन, बेंगलुरु के समक्ष दायर की गई थी। उक्त शिकायत, जिसे डायरी में याचिका संख्या 111/2022 के रूप में अंकित किया गया, में आरोप लगाया गया कि अपीलकर्ता संख्या 1– चिराग सेन तथा अपीलकर्ता संख्या 3– लक्ष्य सेन ने अंडर-13 एवं अंडर-15 श्रेणी की प्रतियोगिताओं के लिए पात्रता प्राप्त करने हेतु अपनी जन्मतिथि का मिथ्या निरूपण किया और इस प्रकार अनुचित चयन एवं आर्थिक लाभ प्राप्त किया। यह भी आरोप लगाया गया कि उनके माता-पिता– अपीलकर्ता संख्या 2 एवं 5– तथा प्रशिक्षक– अपीलकर्ता संख्या 4– ने मिलकर उक्त मिथ्या निरूपण के समर्थन में अभिलेखों को कूटरचित एवं जालसाजी से तैयार करने की साजिश रची।

6. चूंकि उक्त शिकायत के आधार पर कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई, अतः उत्तरदाता संख्या 2 ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 200 के अंतर्गत अष्टम अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी, बेंगलुरु के न्यायालय के समक्ष एक निजी परिवाद दायर किया, जिसे पी.सी.आर. संख्या 14448/2022 के रूप में पंजीकृत किया गया। दिनांक 16.11.2022 के आदेश द्वारा माननीय मजिस्ट्रेट ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 156(3) के अंतर्गत जांच का निर्देश दिया।

7. उपरोक्त आदेश के अनुपालन में, दिनांक 01.12.2022 को हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन, बेंगलुरु शहर द्वारा प्राथमिकी संख्या 194/2022 दर्ज की गई, जिसमें भारतीय दंड संहिता, 1860 की धाराएं 420, 468, 471 एवं 34 के अंतर्गत अपीलकर्ताओं के विरुद्ध अपराध अंकित किए गए। उक्त प्राथमिकी में निजी परिवाद के मूल आरोपों को दोहराया गया तथा यह आरोप लगाया गया कि अपीलकर्ताओं ने अपीलकर्ता संख्या 1 एवं 3 के जन्म प्रमाणपत्र को कूटरचित कर सरकारी लाभ एवं सार्वजनिक मान्यता मिथ्या आधार पर प्राप्त की।

8. प्राथमिकी संख्या 194/2022 के पंजीकरण तथा पी.सी.आर. संख्या 14448/2022 में धारा 156(3) के अंतर्गत पारित आदेश को चुनौती देते हुए, अपीलकर्ताओं ने भारत का संविधान के

अनुच्छेद 226 एवं 227 के साथ पठित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के अंतर्गत कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष तीन पृथक रिट याचिकाएं दायर कीं। उक्त रिट याचिकाएं निम्नलिखित थीं:

(i) डब्ल्यू.पी. संख्या 25699/2022– अपीलकर्ता संख्या 3 (लक्ष्य सेन) एवं अपीलकर्ता संख्या 4 (विमल कुमार– प्रशिक्षक) द्वारा दायर;
(ii) डब्ल्यू.पी. संख्या 26156/2022– अपीलकर्ता संख्या 1 (चिराग सेन) एवं अपीलकर्ता संख्या 5 (निर्मला सेन– माता) द्वारा दायर;
(iii) डब्ल्यू.पी. संख्या 26136/2022– अपीलकर्ता संख्या 5 (धीरेंद्र सेन– पिता) द्वारा दायर।

9. अपीलकर्ताओं का यह कथन है कि समान आरोप लगभग एक दशक पूर्व भी उठाए गए थे और उनका परीक्षण सक्षम वैधानिक प्राधिकारियों, जिनमें स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया ("एसएआई"), केंद्रीय सतर्कता आयोग ("सीवीसी"), तथा कर्नाटक सरकार के शिक्षा विभाग शामिल हैं, द्वारा किया गया था। दिनांक 06.02.2018 को, सीवीसी ने आधिकारिक ज्ञापन संख्या 017/EDN/038/370760 के माध्यम से, आयु-धोखाधड़ी से संबंधित मामले एवं आरोपों की जांच करते हुए यह अभिमत व्यक्त किया कि जन्म प्रमाणपत्र एवं कक्षा 10 का प्रमाणपत्र अंतिम माने जाते हैं। तदनुसार, सीवीसी की संस्तुति के आधार पर एसएआई ने अपीलकर्ताओं के विरुद्ध मामला बंद कर दिया।

10. उपर्युक्त प्रशासनिक समापन के बावजूद, उत्तरदाता संख्या 2 ने लगभग आठ वर्ष के अंतराल के पश्चात उक्त निजी परिवाद तथा उसके परिणामस्वरूप दर्ज प्राथमिकी के माध्यम से नई आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ की। अतः अपीलकर्ताओं ने उक्त कार्यवाही के निरस्तीकरण की प्रार्थना की।

11. दिनांक 19.02.2025 के एक सामान्य निर्णय द्वारा उच्च न्यायालय ने रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय ने यह अभिलक्षित किया कि परिवाद के साथ संलग्न दस्तावेज तथा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्राप्त सामग्री प्रथम दृष्टया जांच के लिए आधार प्रकट करती है, और प्रारंभिक चरण में कार्यवाही को निरस्त करना उपयुक्त नहीं होगा। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि पूर्व प्रशासनिक सत्यापन, उन मामलों में

आपराधिक अभियोजन को नहीं रोकते जहां आरोप संज्ञेय अपराधों का प्रकटीकरण करते हों और जांच की आवश्यकता हो।

12. अपीलकर्ताओं ने उच्च न्यायालय के उक्त तर्क की शुद्धता को चुनौती देते हुए तथा यह प्रतिपादित करते हुए कि आपराधिक कार्यवाही का निरंतर जारी रहना प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग है, वर्तमान अपीलें दायर की हैं।

<u>पक्षकारों के कथन</u>

13. श्री सी. ए. सुन्दरम, अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्राथमिकी तथा उसके आधारभूत परिवाद, प्रक्रिया के दुरुपयोग का एक प्रत्यक्ष उदाहरण हैं, जो व्यक्तिगत शत्रुता से प्रेरित हैं तथा विधि से सर्वथा असंबद्ध कारणों से अपीलकर्ताओं को उत्पीड़ित करने के उद्देश्य से दायर किए गए हैं। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि आपत्तित प्राथमिकी एक अप्रमाणित एवं अप्रत्यायित जीपीएफ प्रपत्र पर आधारित है, जो न केवल ग्राह्यता की कसौटी पर खरा नहीं उतरता, बल्कि कभी भी किसी प्रकार की फोरेंसिक जांच के अधीन नहीं लाया गया। यह भी तर्क दिया गया कि उक्त प्रपत्र में द्वितीय अपीलकर्ता (लक्ष्य सेन) का नाम तक अंकित नहीं है, जो वर्ष 1996 में जन्मे ही नहीं थे और उस वर्ष के नामांकन प्रपत्र में उनका उल्लेख होना संभव ही नहीं था।

14. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस बात पर बल दिया कि अपीलकर्ताओं की जन्मतिथियाँ सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी वैधानिक अभिलेखों में निरंतर रूप से दर्ज हैं, जिनमें से किसी को भी कभी चुनौती नहीं दी गई है और न ही असत्य सिद्ध किया गया है। परिवादी द्वारा जिन सामग्रियों पर भरोसा किया गया है, वे मात्र अनुमानों से युक्त हैं तथा उनमें आपराधिक अभिप्राय या अनुचित लाभ का कोई तत्व प्रदर्शित नहीं होता। यह भी प्रस्तुत किया गया कि विभिन्न चिकित्सीय बोर्डों ने स्वतंत्र रूप से खिलाड़ियों की जैविक आयु का सत्यापन किया है और उसे अभिलेखीय विवरण के अनुरूप पाया है।

15. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया तथा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन द्वारा संस्थागत स्तर पर दिए गए अनुमोदन के बावजूद कार्यवाही को जारी रखने की अनुमति देना न केवल अपीलकर्ताओं के खेल करियर पर गंभीर

प्रतिकूल प्रभाव डालेगा, बल्कि इन विशिष्ट एजेंसियों द्वारा किए गए अन्वेषण निष्कर्षों की पवित्रता में जन-विश्वास को भी कम करेगा। यह कहा गया कि उच्च न्यायालय द्वारा बिना पूर्ण सुनवाई के तथा संक्षिप्त आधार पर कार्यवाही को निरस्त करने से इनकार करना, भारत का संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत अपनी अधिकारिता का समुचित प्रयोग न करने के समान है।

16. इसके विपरीत, द्वितीय उत्तरदाता की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने पुनः यह तर्क दिया कि वर्ष 1996 का जीपीएफ प्रपत्र खिलाड़ियों की जन्मतिथियों के संबंध में परिवार के भीतर पूर्व ज्ञान को दर्शाता है तथा आरोप लगाया कि पात्रता लाभ प्राप्त करने के लिए बाद में उनमें परिवर्तन किया गया। उन्होंने यह भी तर्क किया कि उक्त प्रपत्र की सामग्री की शुद्धता की जांच प्राधिकारियों द्वारा की जा सकती है। उन्होंने कहा कि संस्थागत स्तर पर दिया गया दोषमुक्ति (exoneration) आपराधिक जांच को बाधित नहीं करता तथा उक्त प्राधिकारियों द्वारा किए गए चिकित्सीय आयु-निर्धारण अंतिम नहीं हैं, और की जाने वाली जांच से सत्य का उद्घाटन होगा। अतः उन्होंने इन याचिकाओं को खारिज करने तथा उच्च न्यायालय के आदेश की पुष्टि करने की प्रार्थना की।

<u>विश्लेषण एवं निष्कर्ष</u>

17. अभिलेख पर उपलब्ध अभ्यावेदन, दस्तावेजों तथा परस्पर विरोधी तर्कों के सावधानीपूर्वक विचार के उपरांत, हम इस दृढ़ मत पर हैं कि वर्तमान मामला उन अपवादात्मक परिस्थितियों की श्रेणी में आता है, जहां आपराधिक प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने हेतु प्रारंभिक चरण में हस्तक्षेप आवश्यक है।

18. संपूर्ण परिवाद का आधार एकमात्र दस्तावेज– वर्ष 1996 का जीपीएफ नामांकन प्रपत्र– है, जो न केवल प्रमाणीकरण से रहित है, बल्कि अपीलकर्ताओं के प्रति किसी भी कपटपूर्ण अभिप्राय या कृत्य को स्थापित करने में भी असफल है। उक्त प्रपत्र, यदि इसे वास्तविक मान भी लिया जाए, तो भी यह वैधानिक प्राधिकारियों द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्रों को अधिभूत (override) नहीं करता और न ही अपीलकर्ता संख्या 1 एवं 3 के विरुद्ध किसी मिथ्याकरण का प्रमाण प्रस्तुत करता है। परिवादी ने न तो आधिकारिक जन्म अभिलेखों की वैधता को किसी सिविल मंच के समक्ष चुनौती दी है और न ही यह स्पष्ट किया है कि कथित विसंगतियों को समकालीन

समय पर क्यों नहीं उठाया गया। अभिलेख से यह स्पष्ट है कि आरोप मात्र कल्पना एवं अनुमान पर आधारित हैं तथा स्पष्टतः अपीलकर्ताओं को बदनाम करने के उद्देश्य से लगाए गए हैं। न तो कोई बेईमानीपूर्ण प्रलोभन या लाभ प्रदर्शित होता है और न ही राज्य अथवा किसी तृतीय पक्ष को कोई अनुचित हानि हुई है। अपीलकर्ताओं के विरुद्ध लगाए गए आरोप भारतीय दंड संहिता, 1860 की धाराओं 420, 468 अथवा 471 के आवश्यक अवयवों को पूर्ण नहीं करते। **झंडू फ़ार्मास्यूटिकल वर्क्स लिमिटेड बनाम मोहम्मद शराफ़ुल हक़ (2005) 1 एससीसी 122** में इस न्यायालय ने पुनः प्रतिपादित किया कि जहां आरोप स्वभावतः अविश्वसनीय हों और कोई मामला स्थापित न होता हो, वहां कार्यवाही का निरंतर जारी रहना प्रक्रिया का दुरुपयोग होता है।

19. इससे भी अधिक चिंता का विषय यह है कि परिवाद में प्रतिशोध की स्पष्ट प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। निर्विवाद समय-रेखा से यह स्पष्ट है कि परिवादी की शिकायतें तभी प्रारंभ हुईं जब वर्ष 2020 में उसकी पुत्री को अकादमी में प्रवेश से वंचित किया गया। प्राथमिकी वर्ष 2022 में दर्ज की गई– उस समय, जब यही विषय अनेक प्राधिकारियों, जिनमें केंद्रीय सतर्कता आयोग भी सम्मिलित है, द्वारा परीक्षण कर बंद किया जा चुका था। विलंब, नवीन सामग्री का अभाव तथा स्पष्ट व्यक्तिगत दुर्भावना– ये सभी तत्व मिलकर परिवाद की सद्भावना को कमजोर करते हैं।

20. यद्यपि निरस्तीकरण की अधिकारिता का प्रयोग सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए, तथापि विधि यह भी अपेक्षा करती है कि न्यायालय स्पष्ट अन्याय की स्थिति में निष्क्रिय न रहे। **हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल (1992) पूरक 1 एससीसी 335** में इस न्यायालय ने यह मान्यता दी है कि जहां आपराधिक कार्यवाही प्रतिशोध की दुर्भावना से प्रेरित होकर प्रारंभ की जाती है, वहां न्यायालय का कर्तव्य है कि वह ऐसे दुरुपयोग को रोके।

21. यह तर्क कि आरोपों की जांच हेतु आपराधिक अन्वेषण आवश्यक है, उन अनेक तथ्यात्मक जांचों के आलोक में निराधार प्रतीत होता है, जो पहले ही सक्षम प्राधिकारियों द्वारा की जा चुकी हैं। यह उल्लेखनीय है कि आयु-विसंगति का प्रश्न प्रशासनिक स्तर पर पूर्व में ही परीक्षणाधीन रहा है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने शिकायत प्राप्त होने पर वर्ष 2016 में सत्यापन प्रक्रिया प्रारंभ की, जिसमें चिकित्सीय परीक्षण एवं तथ्यात्मक जांच सम्मिलित थे। खिलाड़ियों का अस्थि-अस्थिकीकरण (bone ossification) तथा दंत परीक्षण, सरकारी चिकित्सालयों– अखिल

भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भी सम्मिलित है– में किया गया। इन परीक्षणों के निष्कर्षों ने आधिकारिक अभिलेखों में दर्ज जन्म वर्ष का समर्थन किया। इसके आधार पर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मामले को समाप्त कर दिया। केंद्रीय सतर्कता आयोग, जो भारत सरकार के अधीन एक प्रमुख सत्यनिष्ठा संस्था है, ने भी इस विषय पर विचार किया और डी. के. सेन के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही न करने की संस्तुति दी। इन निष्कर्षों को संबंधित प्राधिकारियों द्वारा स्वीकार किया गया है तथा उन्हें न तो निरस्त किया गया है और न ही पुनः खोला गया है। यद्यपि प्रशासनिक प्राधिकारियों के निष्कर्ष आपराधिक दायित्व के लिए अंतिम नहीं होते, तथापि यह आकलन करते समय उनका महत्व है कि क्या कोई परिवाद प्रथम दृष्टया आगे बढ़ने के लिए आधार प्रकट करता है। वर्तमान मामले में हम ऐसे प्रकरण से नहीं जूझ रहे हैं जहां कोई नया तथ्य पहली बार सामने आ रहा हो, बल्कि परिवादी उन मुद्दों को पुनः खोलने का प्रयास कर रहा है, जिन्हें पूर्व में विधिवत रूप से परीक्षण कर समाप्त किया जा चुका है, और जिन कार्यवाहियों में किसी प्रकार की धोखाधड़ी या दमन का आरोप भी नहीं लगाया गया है।

22. जहां तक भारतीय दंड संहिता, 1860 की धाराओं 420, 468 एवं 471 की प्रयोज्यता का संबंध है, परिवाद इन अपराधों को आकर्षित करने हेतु आवश्यक मूल तत्वों का कोई प्रकटीकरण नहीं करता। ऐसा कोई आरोप नहीं है कि किसी भी अपीलकर्ता ने कोई दस्तावेज कूटरचित या जालसाजी से तैयार किया, अथवा यह कि उन्होंने किसी कूटरचित दस्तावेज का ज्ञानपूर्वक वास्तविक के रूप में उपयोग किया। इसी प्रकार, यह भी कोई अभिवचन नहीं है कि किसी व्यक्ति या प्राधिकरण को बेईमानीपूर्वक प्रेरित किया गया हो ताकि वह किसी संपत्ति से वंचित हो जाए या कोई लाभ प्रदान करे। परिवाद इस धारणा पर आधारित है कि वर्ष 1996 में खिलाड़ियों के पिता (अपीलकर्ता संख्या 5) द्वारा भरे गए कथित जीपीएफ नामांकन प्रपत्र में की गई प्रविष्टि, खिलाड़ियों के पश्चात जारी जन्म अभिलेखों पर संदेह उत्पन्न करती है। उक्त प्रपत्र को प्रथम दृष्टया स्वीकार कर लेने पर भी, यह प्रदर्शित नहीं किया गया है कि उस समय अल्पवयस्क रहे खिलाड़ी अथवा उनके प्रशिक्षक का उसके निर्माण में कोई योगदान था, और न ही यह दर्शाया गया है कि उस दस्तावेज का कभी किसी मिथ्या बहाने से लाभ प्राप्त करने हेतु उपयोग किया गया। सुनवाई के दौरान, जब न्यायालय ने विशेष रूप से उत्तरदाता संख्या 2 के अधिवक्ता से यह स्पष्ट करने हेतु प्रश्न किया कि खिलाड़ियों, उनके अभिभावकों अथवा प्रशिक्षक

की किसी कूटरचना या छल के कृत्य में क्या भूमिका रही, तो कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया। अपीलकर्ताओं को किसी दोषसिद्ध कृत्य या आपराधिक अभिप्राय से जोड़ने वाला कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह निष्कर्ष और सुदृढ़ होता है कि आरोप, भले ही अपने उच्चतम स्तर पर स्वीकार कर लिए जाएं, तथापि उक्त धाराओं के अंतर्गत आपराधिक अभियोजन को उचित ठहराने हेतु आवश्यक मानदंड को पूरा नहीं करते। इस न्यायालय ने बार-बार यह चेतावनी दी है कि आपराधिक विधि का उपयोग उत्पीड़न के साधन के रूप में नहीं होने दिया जाना चाहिए। **पेप्सी फ़ूड्स लिमिटेड बनाम विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (1998) 5 एससीसी 749** में यह प्रतिपादित किया गया कि किसी आपराधिक कार्यवाही में अभियुक्त को तलब करना एक गंभीर विषय है और इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। वर्तमान प्रकरण इस बात का उदाहरण है कि किस प्रकार वैधता के आवरण में किसी गौण उद्देश्य की प्राप्ति हेतु आपराधिक प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जा सकता है।

23. परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए, हम इस विचारित मत पर हैं कि अपीलकर्ताओं के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही का निरंतर जारी रहना पूर्णतः अनुचित है। अभिलेख से स्पष्ट है कि जिन आरोपों को अब पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है, वे पूर्व में सक्षम प्राधिकारियों द्वारा परीक्षण के अधीन लाए जा चुके थे, जिन्होंने आगे कार्यवाही करने हेतु कोई सामग्री उपलब्ध नहीं पाई। तत्पश्चात ऐसा कोई नवीन साक्ष्य प्रकाश में नहीं आया है जो उस विषय को पुनः खोलने को न्यायोचित ठहराए, जिसे विधिवत जांच के उपरांत पहले ही समाप्त कर दिया गया था। अपीलकर्ता, विशेषतः अपीलकर्ता संख्या 1 एवं 3, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व किया है तथा राष्ट्रमंडल खेलों एवं बीडब्ल्यूएफ अंतरराष्ट्रीय आयोजनों में पदकों सहित अनेक सम्मान अर्जित किए हैं। ऐसे व्यक्तियों, जिन्होंने निष्कलंक अभिलेख बनाए रखा है और निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन के माध्यम से देश को गौरवान्वित किया है, को प्रथम दृष्टया साक्ष्य के अभाव में आपराधिक विचारण की प्रक्रिया से गुजरने के लिए विवश करना न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करेगा। ऐसी परिस्थितियों में आपराधिक विधि का आह्वान प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, जिसे यह न्यायालय स्वीकार नहीं कर सकता।

24. उपर्युक्त कारणों से, अपीलें स्वीकार की जाती हैं। कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्याएं 26156/2022, 25699/2022 एवं 26136/2022 में दिनांक 19.02.2025 को

पारित आपत्तित आदेश निरस्त किया जाता है। परिणामस्वरूप, हाई ग्राउंड्स पुलिस स्टेशन, बेंगलुरु द्वारा दिनांक 01.12.2022 को दर्ज प्राथमिकी संख्या 194/2022 तथा उसके अनुसरण में की गई समस्त आगे की कार्यवाही, जिसमें पी.सी.आर. संख्या 14448/2022 भी सम्मिलित है, निरस्त की जाती है।

25. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, निराकृत किए जाते हैं। व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

मामले का परिणाम: अपील स्वीकृत।

† हेडनॉट्स निधि जैन द्वारा तैयार की गयी ।

यह अनुवाद पियूष आनंद, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है|